जन आधार पोर्टल के माध्यम से डीबीटी

- **विभागों की जन–कल्याण की योजनाओं का चिन्हीकरण–**
  - **डीबीटी भारत पोर्टल पर ऑनबॉर्डिंग–** केन्द्रीय सरकार द्वारा डीबीटी भारत मिशन के अन्तर्गत समस्त योजनाओं के प्रत्यक्ष लाभों के हस्तांतरण को एक ही पोर्टल डीबीटी भारत पोर्टल पर योजनावार दर्ज किया जाता है। उक्त पोर्टल पर केन्द्रीय एवं राज्य निधि से संचालित योजनाओं के लाभों का विवरण दर्ज किया जाता है। इस हेतु राजस्थान जन आधार प्राधिकरण द्वारा डीबीटी भारत पोर्टल पर योजनाओं से संबंधित सूचना दर्ज कर ऑनबोर्ड किया जाता है।
  - भारत सरकार द्वारा निश्चित मापदण्डों के आधार पर राज्यों के मध्य रैंक का निर्धारण किया जाता है।
  - **विभाग द्वारा योजना के इलेक्ट्रॉनिक तंत्र का डिजिटलाइजेशन (EED)–** इलेक्ट्रॉनिक तंत्र का डिजिटलाइजेशन (EED) से तात्पर्य है कि आवेदक द्वारा किये गये आवेदन से लेकर हस्तांतरित लाभों तक की समस्त प्रक्रिया डिजिटलाइज्ड हो अर्थात् आवेदक किसी भी सरकारी कार्यालय में न जाकर समस्त प्रक्रिया की जानकारी डिजिटल रूप से प्राप्त कर सके। इस हेतु योजना संचालन विभाग को EED अनुरूप पोर्टल विकसित कर योजना को जन आधार पोर्टल से एकीकृत किया जाना आवश्यक है, ताकि हस्तांतरित लाभों का विवरण जन आधार पोर्टल पर परिलक्षित हो सके।
  - **आधार अधिनियम की धारा 7 व 4(IV)(B) के तहत अधिसूचना–** आधार अधिनियम, 2016 की धारा 7 के अन्तर्गत केन्द्र एवं राज्य सरकार की संचित निधि से संचालित योजनाओं से लाभ हस्तांतरण किया जाता है, तो लाभान्वितों का आधार उपयोग में लेने हेतु अधिसूचना आवश्यक है।
  - आधार अधिनियम, 2016 की धारा 4(IV)(B) के अधिनियम यह शक्ति राज्य को देता है कि किसी योजना में यदि आवश्यकता हो तो वह उस योजना हेतु आधार का स्वैच्छिक प्रयोग कर सकता है।

जन आधार योजना का विधिक व प्रशासनिक तंत्र

राजस्थान जन आधार योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम, 2020 तथा राजस्थान जन आधार प्राधिकरण नियम, 2021 के तहत राजस्थान जन आधार प्राधिकरण एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में स्थापित है। प्राधिकरण का प्रशासनिक तंत्र विभिन्न स्तर पर निम्नानुसार है–

- **राज्य स्तर पर–**

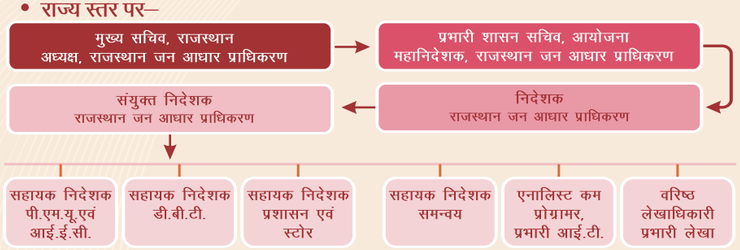

- **जिला स्तर पर–**

जिला कलक्टर	जिला जन आधार योजना अधिकारी
संयुक्त/उप निदेशक, जिला आर्थिक एवं सांख्यिकी	अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी
एस.ए./उप निदेशक (एसीपी), जिला सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार	अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी (तकनीकी)

- **ब्लॉक स्तर पर–**

उपखण्ड अधिकारी	उपखण्ड जन आधार योजना अधिकारी
विकास अधिकारी/ ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी	अतिरिक्त ब्लॉक जन आधार योजना अधिकारी
प्रोग्रामर	अतिरिक्त ब्लॉक जन आधार योजना अधिकारी (तकनीकी)

जन आधार की भविष्य की योजना

- **SMART (Service Management through Artificial Intelligence and Machine learning in Real Time) System की नींव– जन आधार के डेटाबेस के माध्यम से तथा Artificial Intelligence and Machine learning तकनीक के उपयोग से निम्नलिखित कार्य सम्भव हो गे–**
  - भविष्य में पात्रता प्राप्त करने वाले लाभार्थियों का पता लगाया जाना तथा नीति निर्धारण में उनका उपयोग कर सटीक अनुमानित लागत की गणना किया जाना।
  - लाभार्थियों का स्वतः चयन और उनको स्वतः लाभ हस्तांतरण।
  - पात्रता के लिए अनिवार्य दस्तावेजों की जारीकर्ता संस्था के पोर्टल से सिस्टम द्वारा स्वतः जाँच और सूचना का स्वतः अद्यतन।
  - अपात्र एवं डुप्लीकेट लाभार्थियों की स्वतः पहचान और स्वतः पृथकीकरण।

जन आधार योजना की उपलब्धियाँ

- **राजस्थान जन आधार प्राधिकरण के ''एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान'' की दिशा में बढते कदम–**
  - प्राधिकरण निवासियों की सुविधा के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत प्रदान किये गये कार्डों तथा संख्याओं का एकीकरण कर सभी में केवल जन आधार संख्या से ही पहचान सुनिश्चित करने के लिए कटिबद्ध है।
  - इस दिशा में कदम बढ़ाते हुये राज्य में राशन कार्ड डेटाबेस को जन आधार डेटाबेस के साथ एकीकृत कर दिया गया है। जिसके फलस्वरूप अब राजस्थान में जन आधार कार्ड ही राशन कार्ड भी है। इससे दो कार्ड अब एक कार्ड में ही समाहित हो गए हैं। इसी प्रकार प्राधिकरण अन्य कार्डों को भी जन आधार कार्ड में ही समाहित करने के लिए प्रयासरत है।
  - जन आधार प्लेटफॉर्म को पहचान पोर्टल (मृत्यु, जन्म और विवाह को पंजीकृत करने के लिए राज्य का पोर्टल) के साथ एकीकृत किया गया है जिसके परिणामस्वरूप राज्य में वास्तविक समय में परिवार व व्यक्तियों की जानकारी मिलने लगी है। जिससे राज्य की जनसंख्या का भी वास्तविक समय में आकलन संभव हो रहा है।
  - मतदाता पहचान कार्ड डेटा का जन आधार से एकीकरण से फर्जी मतदाताओं की सुगमता से पहचान, UDID कार्ड के माध्यम से विशेष योग्यजन की पहचान, श्रमिक कार्ड के माध्यम से श्रमिको की पहचान एवं स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार के लिए, स्वास्थ्य प्रणाली में कमियों पर नजर रखने और उन्हें दूर करने के लिए स्वास्थ्य से संबंधित डेटा (पीसीटीएनएस, एनएफएचएस, आभा कार्ड आदि) का एकीकरण।
  - राज्य के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का सही डेटा प्राप्त करने और उपलब्धियों को सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम आधारित सत्यापन।
  - वर्तमान में 175 से अधिक योजनाओं/सेवाओं के पात्र लाभार्थियों के जन आधार से प्रमाणीकरण उपरान्त नकद लाभों का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) उनके बैंक खातों में तथा गैर नगद लाभों की प्रदायगी आधार प्रमाणीकरण उपरान्त उनके घर के समीप ही की जा रही है।

"मेरा अधिकार मेरे हाथ"

अधिक जानकारी के लिए

हेल्पडेस्क 0141-2850287, 2923377 अथवा 181
अथवा अपने जिले/ब्लॉक के हेल्पडेस्क नम्बर पर कॉल करें
जिनके नम्बर https://janaadhaar.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध।

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण
आयोजना विभाग, योजना भवन, जयपुर, राजस्थान

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

जन आधार

जन आधार

जन आधार योजना एक दृष्टि में

राजस्थान जन आधार योजना

जन आधार योजना, राजस्थान की सामाजिक–आर्थिक सूचनाओं की सबसे बड़ी एकीकृत डायरेक्ट्री है जो राज्य में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer) के लिए एक सुदृढ़ प्लेटफॉर्म भी है। जन आधार पोर्टल के माध्यम से राज्य की योजनाओं के नकद लाभ सीधे ही लाभार्थियों के बैंक खातों में तथा गैर–नकद लाभ अधिप्रमाणन से उनके घर के समीप उपलब्ध करवाये जाते हैं।

"एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान"

के मूल उद्देश्य से स्थापित जन आधार योजना राज्य में सभी विभागों द्वारा प्रदायित योजनाओं के लाभों को सुगमता, सरलता तथा पारदर्शी रूप से वितरित करने के लिए राज्य के निवासियों के लिए एक पारिवारिक संख्या और व्यक्तिगत पहचान संख्या प्रदान करती है ताकि विभिन्न विभागों द्वारा लाभार्थियों को जोड़ने के लिए बार–बार कोई सर्वेक्षण या कार्ड इत्यादि जारी करना ना पड़े।

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण
आयोजना विभाग, योजना भवन, जयपुर, राजस्थान

जन आधार योजना के प्रमुख उद्देश्य

- **प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करना और राज्य के लिए एक सामाजिक एवं आर्थिक डायरेक्ट्री स्थापित करना–**
  - जन आधार योजना राज्य के प्रत्येक परिवार को जन आधार में नामांकन उपरान्त एक 10 अंकों की परिवार पहचान संख्या तथा परिवार के सदस्यों को 11 अंकों की व्यक्तिगत पहचान संख्या प्रदान करती है।
  - यह पहचान संख्या, पहचान के प्रमाण, पते के प्रमाण और परिवार के मुखिया और उनके सदस्यों से संबंध के प्रमाण के रूप में अधिकृत है।
- **महिला सशक्तिकरण–**
  - महिला सशक्तिकरण के लिए जन आधार नामांकन के लिए परिवार की 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला को परिवार की मुखिया घोषित किया जाता है।
  - परिवार की मुखिया का उत्तरदायित्व प्राप्त होने पर महिला को पारिवारिक निर्णयों में आधिकारिक भागीदारी का अधिकार प्राप्त होता है।
- **वित्तीय समावेशन–**
  - वित्तीय समावेशन के लिए जन आधार नामांकन में महिला मुखिया के व्यक्तिगत बैंक खाते को अनिवार्य किया गया है जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं को बैंकिंग की मुख्य धारा में आने का अवसर प्राप्त होता है।
  - जन आधार के माध्यम से नकद लाभ वितरण की प्रक्रिया इस प्रकार से विकसित की गई है कि परिवार के सभी नकद लाभ अनिवार्य रूप से परिवार की महिला मुखिया के बैंक खाते में स्थानांतरित हों।
  - परिवार का जो भी सदस्य राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभार्थी है, उसके लिए भी बैंक खाता अनिवार्य किया गया है जिससे अधिकतम जनसंख्या वित्तीय समावेशन के दायरे में आ सके।
- **राज्य में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का एकल मंच (Jan Aadhaar DBT Platform) स्थापित करना–**
  - जन आधार प्लेटफॉर्म राज्य में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का एकल मंच है जिसके कारण विभिन्न विभागों को अपनी योजनाओं के समस्त लाभों के हस्तांतरण हेतु लाभार्थियों की सूचना जन आधार डेटाबेस से लेना अनिवार्य किया गया है।
  - समस्त विभागों के सेवा प्रदायगी के पोर्टल्स के जन आधार प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण के फलस्वरूप लाभ हस्तांतरण के समय लाभार्थियों का दोहराव समाप्त होता है और नकली एवं अयोग्य लाभार्थियों की सटीक पहचान सम्भव हुई है। इसके परिणामस्वरूप राज्य और केन्द्र समर्थित योजनाओं के बजट में भारी बचत दर्ज की गई है।

जन आधार के माध्यम से सेवा प्रदायगी तंत्र का सरलीकरण

- **नामांकन प्रक्रिया–**
  - परिवार के जन आधार नामांकन परिवार का कोई भी व्यस्क सदस्य पहचान और पात्रता के लिए वांछित दस्तावेजों के साथ वेबसाइट https:// janaadhaar.rajasthan.gov.in पर स्वयं कर सकता है साथ ही किसी भी ई–मित्र केन्द्र पर जाकर भी नामांकन करवा सकता है।
  - नामांकन हेतु प्रस्तावित परिवार की मुखिया की आधार संख्या प्रविष्ठी उपरान्त भेजे गये ओ.टी.पी दर्ज करने पर नामांकन प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है। तद्नुसार मुखिया व परिवार के अन्य सदस्यों की सूचनाएं दर्ज कर तथा उनसे संबंधित दस्तावेज अपलोड कर नामांकन पूर्ण किया जाता है।
  - जन आधार नामांकन पूर्ण होने के पश्चात आवश्यकतानुसार द्विस्तरीय सत्यापन सफलतापूर्वक होने के पश्चात प्रत्येक परिवार को 10 अंकीय जन आधार परिवार पहचान संख्या तथा प्रत्येक सदस्य को 11 अंकीय व्यक्तिगत पहचान संख्या जारी कर दी जाती है।

जन आधार नामांकन की प्रक्रिया

- **अनिवार्य दस्तावेज–**
  - परिवार के मुखिया एवं परिवार के सभी 5 वर्ष से अधिक सदस्यों की आधार संख्या,
  - परिवार के मुखिया की बैंक पासबुक की प्रति (आवश्यकता होने पर परिवार के अन्य सदस्यों के बैंक पासबुक की प्रति),
  - पाँच वर्ष तक के सदस्य का जन्म प्रमाण पत्र व फोटो,
  - पते का दस्तावेज,
  - अन्य दस्तावेज आवश्यकतानुसार पात्रता सिद्ध करने हेतु।
- **आधार अधिप्रमाणन–**
  - आधार पहचान तंत्र में बायोमेट्रिक डेटा के समावेशन का जन आधार में परिवार के मुखिया व परिवार के सभी सदस्यों की सटीक पहचान सुनिश्चित करने हेतु आधार अधिप्रमाणन कराया जाता है। जिसके द्वारा आधार डेटाबेस से नामांकित मुखिया/सदस्य का नाम, जन्मतिथि, लिंग और फोटो जन आधार में समाहित किया जाता है।
  - 5 वर्ष से कम आयु के सदस्यों का अधिप्रमाणन आधार के अतिरिक्त जन्म प्रमाण पत्र के माध्यम से भी किया जाता है।

संशोधन/अद्यतन की आसान प्रक्रिया–

- जन आधार पंजीयन में दर्ज सूचनाओं में किसी भी प्रकार का संशोधन/अद्यतन ई–मित्र अथवा स्वयं एस.एस.ओ. के माध्यम से आसानी से संभव।
- जन आधार नामांकन एवं अपडेशन हेतु ई–मित्र को दिए जाने वाला शुल्क निम्न प्रकार है:

जन आधार संबंधित कार्य हेतु ई–मित्र को देय शुल्क	
जन आधार अपडेशन	50/-
बैंक खाता विवरण अपडेशन	50/-
आय विवरण में अपडेशन	50/-
जन आधार नामांकन	निःशुल्क
सदस्य जोड़ना	निःशुल्क

- डेटा की संरक्षा एवं सुरक्षा के लिए परिवार के मुखिया/वयस्क सदस्य द्वारा केवल आधार अधिप्रमाणन के माध्यम से ही संशोधन/अद्यतन।
- कतिपय सूचनाओं जिनको जारी करने वाले विभाग/एजेंसी के पोर्टल के माध्यम से सत्यापन संभव ना हो उन सूचनाओं का सत्यापन आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन निम्नानुसार द्विस्तरीय प्रक्रिया द्वारा किया जाता है–

सत्यापक स्तर	ग्रामीण स्तर पर सत्यापन	शहरी स्तर पर सत्यापन
प्रथम स्तर सत्यापक	ग्राम विकास अधिकारी	नगरीय निकाय का आयुक्त/उपायुक्त/उपायुक्त अथवा अधिशाषी अधिकारी
द्वितीय स्तर सत्यापक	ब्लॉक विकास अधिकारी	उपखण्ड अधिकारी

- **संशोधन/अद्यतन के प्रकार व प्रक्रिया–**
  - **सदस्य जोड़ना–** जन आधार परिवार में किसी सदस्य को एसएसओ आईडी अथवा ई–मित्र के माध्यम से प्रथम एवं द्वितीय स्तर से सत्यापन उपरांत जोड़ा जा सकता है।
  - **परिवार का विभाजन–**
    - ✓ जन आधार पोर्टल में दी गई SPLIT की सुविधा के माध्यम से परिवार को विभाजित किया जा सकता है।
    - ✓ विभाजित सदस्यों को एक नई जन आधार परिवार आईडी प्रदान की जाती है, उनकी सदस्य आईडी अपरिवर्तित रहती है।
    - ✓ बशर्ते, विभाजित सदस्यों में से, या तो एक सदस्य या पुराने परिवार का कम से कम एक सदस्य नए परिवार का मुखिया बनने के लिए आवश्यक सभी शर्तों को पूरा करता हो।
  - **सदस्यों का एक जन आधार परिवार से दूसरे में स्थानांतरण–**
    - ✓ जन आधार पोर्टल में प्रदान की गई "सदस्य स्थानांतरण" की सुविधा के माध्यम से सदस्यों को एक जन आधार परिवार से दूसरे में स्थानांतरित किया जा सकता है।
  - **सदस्य हटाना–**
    - ✓ जन आधार परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर परिवार को पहचान पोर्टल के माध्यम से मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाते समय जन आधार संख्या उपलब्ध करानी चाहिये, जिससे मृत व्यक्ति का नाम स्वतः ही हट सके।
    - ✓ यदि मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाते समय मृत व्यक्ति का जन आधार नहीं दिया गया हो तो ऐसे मृत व्यक्ति का नाम परिवार के किसी सदस्य की एसएसओ आईडी अथवा ई–मित्र के माध्यम से प्रथम एवं द्वितीय स्तर से सत्यापन उपरांत हटाया जा सकता है।
    - ✓ जन आधार में मृत्यु के अतिरिक्त सभी अन्य कारणों में मुखिया/सदस्य हटाने के लिए ऑनलाईन माध्यम से आवेदन कर संबंधित ब्लॉक विकास अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी की अनुशंषा के उपरांत संबंधित जिला कलक्टर की स्वीकृति से हटाया जा सकता है।
  - **जन आधार से अन्य विभागों के प्रमाण पत्र अपडेट करना–**
    - ✓ मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र इत्यादि जन आधार में सीधे अपडेट नहीं किये जा सकते हैं।
    - ✓ ये ई–मित्र सेवाओं के माध्यम से प्रमाण–पत्र जारी होने के बाद स्वतः अपडेट होते हैं।
  - **जन आधार से अन्य विभागों के प्रमाण पत्र अपडेट करना–**
    - ✓ मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र इत्यादि जन आधार में सीधे अपडेट नहीं किये जा सकते हैं।
    - ✓ ये ई–मित्र सेवाओं के माध्यम से प्रमाण–पत्र जारी होने के बाद स्वतः अपडेट होते हैं।
  - **पेंशन अपडेट करना–**
    - ✓ पीपीओ नम्बर जन आधार में सीधे अपडेट ना होकर इसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित rajssp services से अपडेट किया जाता है।
    - ✓ कतिपय प्रकरणों में आधार संबंधित डेटा–मिसमैच होने के कारण पीपीओ नम्बर नहीं जुड़ पाता है तो संबंधित व्यक्ति सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्पर्क कर अपना पीपीओ नम्बर दर्ज करा सकता है।
  - **आय अपडेट करना –**
    - ✓ जन आधार में निवासी परिवार आई.टी.आर. अथवा नोटेरी से सत्यापित दस्तावेज अपलोड करवाकर गत वित्तीय वर्ष की आय ही दर्ज करा सकता है।
    - ✓ सत्यापन के उपरान्त परिवार की आय अपडेट हो जाती है।
    - ✓ अपडेट हुई इस आय के विवरण में उस वित्तीय वर्ष में वृद्धि कर संशोधन कराया जा सकता है।
    - ✓ केवल टाईपिंग त्रुटि के कारण अपलोड किये गये दस्तावेज से भिन्न आय के दर्ज होने पर इसे एक बार और संशोधित कराया जा सकता है।
  - **विशेष योग्यजन के डेटा का अपडेशन–**
    - ✓ विशेष योग्यजन के डेटा स्वावलम्बन पोर्टल से एपीआई के माध्यम से जन आधार एडिटिंग द्वारा अपडेट हो जाता है।